भारत पांच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE २ रु INDIA रुपये RUPEES

COURT FEE ५० पै INDIA भारत ५० पैसे 50PAISE

समक्ष- रा ज स्व म ण्ड ल ग्वा लि य र

मध्यप्रदेश

राजस्व पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५०

म०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९

(१) श्रीमती कमलादेवी पति स्व० रणजीतसिंह ठाकुर, गृह कार्य, निवासी- आर्य समाज मंदिर गली, पड़ावा, खण्डवा, तहसील- खण्डवा, जिला- पूर्व निमाड़ ।

- - याचिकाकर्ता

-विरुद्ध-

(१) हुकुमसिंह आत्मज दर्शनसिंह ठाकुर, टेम्पो ओनर, निवासी- आर्य समाज मंदिर गली, पड़ावा, खण्डवा, तहसील- खण्डवा, जिला- पूर्व निमाड़ ।

(२) गुलाबसिंह आत्मज दर्शनसिंह ठाकुर, टाउन इन्सपेक्टर(पुलिस) हरिजन कल्याण प्रकोष्ठ, सिटी कोतवाली, उज्जैन, जिला-उज्जैन

(३) शेरसिंह आत्मज बहादुरसिंह ठाकुर, ठेकेदार, निवासी- आर्य समाज मंदिर गली, पड़ावा, खण्डवा, तहसील- खण्डवा, जिला- पूर्व निमाड़ ।

(४) हर्षवर्धन आत्मज शंकरप्रसाद दीक्षित, निवासी- बैंक आफ इण्डिया के सामने, आनन्दनगर, सिहाड़ा रोड, खण्डवा, तहसील- खण्डवा, जिला- पूर्व निमाड़ ।

- - - प्रतिप्रार्थीगण

श्री सतीश शर्मा अर्थी। अभिभाषक द्वारा दि. 26.8.95 को प्रस्तुत

याचिकाकर्ता, न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा राजस्व अपील क्रमांक १०५।९१-९२ में पारित आदेश दिनांक १-८-१९९४ से दुखित एवम् पीड़ित होकर निम्नलिखित व अन्य आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करती है :-

R. 971/94 ग्राम [illegible]

कमलादेवी / हुकुमसिंह

8.11.2016 N/Press	आवेदक की ओर से श्री एस० के० बाजपेयी अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	

[कृ. प. उ.